NOC

LL.B 3 Years

संख्या-3891/सत्तर-2-2007-2(304)/2006

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 17 जनवरी, 2008

विषय:-बार काउंसिल ऑफ इण्डिया के क्षेत्रान्तर्गत एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित आपके पत्र संख्या:सम्बद्धता/1002, दिनांक 30-03-2007 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने सम्यक् विचारोपरान्त दीवान लॉ कालेज, परतापुर, मेरठ को एल0एल0बी0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रदान कर दी है:-

(1) उक्त पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने के पश्चात् एवं बार काउंसिल ऑफ इण्डिया के अनुमोदनोपरान्त ही छात्रों के प्रवेश लिये जायेंगे।

(2) संस्थान सम्बद्धता का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पूर्व भवन निर्माण की कार्यवाही एवं आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर लेगी।

(3) महाविद्यालय के नाम भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने, निजी भवन में उक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने एवं अवस्थापना सामग्री तथा कार्यशील पूँजी की उपलब्धता का पुन: परीक्षण करने के उपरान्त ही शासनादेश संख्या-3075/सत्तर-2-2002-2(166)/2002, दिनांक 27 सितम्बर, 2002, शासनादेश संख्या-3411/सत्तर-2-2002-2(166)/2002, दिनांक 11 अक्टूबर, 2002, शासनादेश संख्या-193/सत्तर-2-2003-2(166)/2002, दिनांक 13 जनवरी, 2003, शासनादेश संख्या-585मु0मं0/सत्तर-2-2005-2(166)/2002, दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 एवं शासनादेश संख्या-743मु0मं0/सत्तर-2-2006-2(166)/2002, दिनांक 07 नवम्बर, 2006 तथा शासनादेश संख्या-4108/सत्तर-2-2007-2(494)/2007, दिनांक 17 अक्टूबर, 2007 में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार ही सम्बद्धता प्रदान की जायेगी।

(4) संस्थान की किसी लायबिलिटी से राज्य सरकार का कोई सरोकार नहीं होगा।

(5) संस्थान विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं बार काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा समय-समय पर जारी नीति विषयक आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन करेगी।

..2/-

(6) मानकानुसार आवश्यक भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराकर खतौनी की प्रति सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित कराकर अथवा भूमि किसी विकास प्राधिकरण से क्रय किये जाने की स्थिति में लीजडीड की प्रमाणित प्रति सम्बद्धता के प्रस्ताव के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) उक्त पाठ्यक्रम का संचालन अनापत्ति प्रदान करने के प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू-अभिलेखों में उल्लिखित ग्राम-कुण्डा, परगना/तहसील/जनपद-मेरठ के खसरा नं0-127 में उपलब्ध 3000 वर्ग मीटर भूमि में मानकानुसार निर्मित भवन में ही संचालित किया जायेगा। अन्यत्र संचालित करने पर यह अनापत्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(8) ट्रस्ट/सोसाइटी एक प्रबन्ध समिति का गठन कर लेगा और उसके सदस्य परस्पर सम्बन्धी नहीं होंगे और भूमि महाविद्यालय के नाम विधितः अन्तरित कर दी जायेगी।

2- अनुरोध है कि कृपया अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

संख्या-3891(1)/सत्तर-2-2007-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) सचिव, बार काउंसिल ऑफ इण्डिया, 21, राउज एवेन्यू, इंस्टीट्यूशनल एरिया, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-2.

(2) प्रबन्धक/सचिव, दीवान लॉ कालेज, परतापुर, मेरठ।

(3) निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(4) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।

(5) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री।

(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

LL.B 5 Years

ANNEXURE – I

संख्या–2712/सत्तर–2–2002–2(21)/2003

प्रेषक,

प्रो० डी० जोशी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
बार काउंसिल ऑफ इण्डिया,
नई दिल्ली ।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2

लखनऊ: दिनांक: 24 जनवरी, 2003

विषय:– बार काउंसिल ऑफ इण्डिया के क्षेत्रान्तर्गत एल०एल०बी० पाठ्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रदान किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त दीवान लॉ कालेज, मेरठ को एल०एल०बी० पंचवर्षीय पाठ्यक्रम स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2003–2004 से प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान कर दी है:–

।1।– संस्था सम्बद्धता का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पूर्व भवन निर्माण की कार्यवाही पूर्ण कर लेगी ।

।2।– एल०एल०बी० पाठ्यक्रम में सम्बद्धता तभी प्रदान की जायेगी जब संस्था उक्त पाठ्यक्रम हेतु बार काउंसिल ऑफ इण्डिया से अनुमोदन प्राप्त कर लेगी ।

।3।– उक्त पाठ्यक्रम में बार काउंसिल ऑफ इण्डिया के अनुमोदनोपरान्त तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने के पश्चात ही प्रवेश किये जायेंगे ।

।4।– संस्था के नाम भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने, निजी भवन में उक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने एवं आवश्यकता सामग्री तथा कार्यशील पूंजी की उपलब्धता का पुनः स्थल परीक्षण करने के उपरान्त ही शासनादेश संख्या–3075/सत्तर–2–2002–2(166)/2002, दिनांक 27 सितम्बर, 2002 में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार ही सम्बद्धता प्रदान की जायेगी ।

।5।– संस्थान की किसी भी देनदारी से राज्य सरकार का कोई सरोकार नहीं होगा ।

(16)- संस्था विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/बार काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा समय-समय पर जारी नीति विषयक आदेशों/निर्देशों का अनुपालन करेगी ।

(17)- मानकानुसार आवश्यक भूमि महाविद्यालय/संस्थान के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराकर खतौनी की प्रति सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित कराकर सम्बद्धता के प्रस्ताव के साथ उपलब्ध करायी जायेगी ।

2. अनुरोध है कि कृपया अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(बी0एल0 जोशी)
संयुक्त सचिव ।

संख्या-2712(1)/सत्तर-2-2002-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1)- कुलसचिव, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ ।

(2)- चेयरमैन, दीवान लॉ कालेज, मेरठ बाईपास रोड, परतापुर, मेरठ ।

(3)- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(बी0एल0 जोशी)
संयुक्त सचिव ।